

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित:- श्री दीपक कुमार, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी :- सर्वश्री एक्वा वर्ल्ड , 377 / 6 , पटेल नगर नई मण्डी , मुजफ्फरनगर ।
प्रा०प०सं०:- 332/2008
प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28-07-2008 को प्रस्तुत किया गया जिसमें वाटर प्यूरिफायर मशीन पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है ।

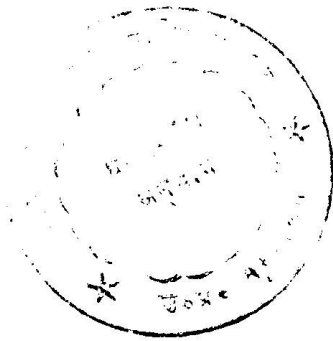
- 2- धारा 59 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि पर कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है ।
- 3- मैंने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि वाटर प्यूरिफायर मशीन पानी साफ करने के काम आता है । यूनिट में कोई पावर आदि का प्रयोग नहीं होता है । वाटर प्यूरिफायर मशीन शिड्यूल -1,2,3 व 4 में वर्गीकृत नहीं है अतः शिड्यूल-5 के अन्तर्गत इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय है ।
- 4- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।
- 5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।

दिनांक: सितम्बर 18 2008

ह० 18-9-2008

(दीपक कुमार)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ



प्रति प्रार्थी को भेजा जाय